नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

अधिसूचना सं. 25 /2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10- 74 /2017/वाक/पांच(127) . — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 11 की उपधारा)1यों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार शक्तिके तहत प्रदत्त (, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं .12/2017 (दर) राज्य कर - क्रमांक एफ-10-43-2017)/पांच/वाक/80(, तारीख ,जून 282017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र 29 तारीख 252 क्रमांक ,में (असाधारण) ,जून2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा : -

उक्त अधिसूचना में,तालिका में, क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों 81 के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा,यथा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	अध्याय ९९९६	फीफा अंडर -17 विश्व कप के तहत आयोजित होने 2017	कुछ नहीं	कुछ नहीं".
		वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं		

2. यह अधिसुचना दिनांक 21-09- से 2017प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर 2017

क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(127). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-74/2017/वाक/पांच(127), दिनांक 23-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd September 2017

NOTIFICATION No. 25 /2017- State Tax (Rate)

No. F-10-74 /2017/CT/V (127) . – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 12/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (80), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017.	Nil	Nil".

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 21-09-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.